

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर**  
क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-1/2021/ दिनांक :

**आदेश**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, वरिष्ठ सहायक (तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 17.08.1993 है, को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 17.08.2020 से पे मेट्रिक्स के लेवल-11 में एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

5-✓  
(मुकुल शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज. जयपुर  
दिनांक : 16/04/2021

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-1/2021/121

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. श्रीमती उषा रामचन्दानी पत्नी स्व० श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, वरिष्ठ सहायक (तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

7  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज. जयपुर